

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02.त0शि0/योजना-03/2019/01/अजट
प्रेषक,

/राँची, दिनांक- 16.05.2023

गरिमा सिंह, भा0प्र0से0,
निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषय:- बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत योजना के निमित्त कुल रू0 25,00,00,000/- (रू0 पचीस करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.11.2022 में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं विभागीय पत्रांक 15/योजना दिनांक 17.11.2022 के द्वारा प्राक्कलित राशि रू 89,03,23,400/- (रू0 नवासी करोड़ तीन लाख तेईस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अबतक कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है।

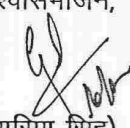
2. अतः झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 849(नि0) दिनांक 12.04.2023 के आलोक में बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि की निकासी हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 0.4/-/योजना दिनांक 15.05.2023 के आलोक में कुल रू0 25,00,00,000/- (रू0 पचीस करोड़) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्निक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।

विपत्र कोड - 43S42020210506010545

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।
5. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
8. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की जिम्मेवारी होगी कि PWD Code के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त राशि का नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

9. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,


(गरिमा सिंह)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना-03/2019/01/बजट

/राँची, दिनांक- 16.05.2023

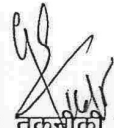
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना-03/2019/01/बजट

/राँची, दिनांक- 16.05.2023

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

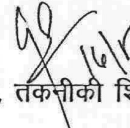
ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना-03/2019/01/बजट

/राँची, दिनांक- 16.05.2023

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट पदाधिकारी/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/लेखा शाखा/बजट शाखा एवं प्रगारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रवीन्द्र प्र0 वर्णवाल)
प्रशाखा पदाधिकारी


(मनोवर आलम)
अवर सचिव


निदेशक, तकनीकी शिक्षा।